



प्रथमा यू०पी० ग्रामीण बैंक

(प्रवर्तक: पंजाब वैश्ववल्ड बैंक)
क्षेत्रीय व्हायरल्लिय, मुजफ्फरनगर

क्षेत्रीय कार्यालय: 127/128 अंकित विहार
पचैन्डा रोड, मुजफ्फरनगर (उ०प्र०)
फोन- 7217028797, 7217029191 फैक्स- 0131-24121155
E-Mail: rmmzn@prathamaupbank.com

नीलामी सूचना

वित्तीय अस्तिवों का प्रतिभूतिकरण तथा पुनः एवं प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का क्रमांक 54) के अन्तर्गत बैंक को बंधक अंचल सम्पत्तियाँ नीलामी द्वारा विक्रय की जायेगी। जबकि बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा वित्तीय अस्तिवों का प्रतिभूतिकरण तथा पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत नोटिस दिया जा चुका है और तत्पश्चात उनके द्वारा बैंक ऋण अदा कर सकने में असमर्थ रहने पर निन्नांकित बंधक सम्पत्तियों का प्रतीकात्मक कब्जा भी बैंक द्वारा ले लिया गया है और अब नीचे लिखित सम्पत्तियों को जैसा है जहाँ है जो कुछ भी है (As is where is what is basis) के आधार पर प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) अधिनियम, 2002 के नियम 8 व 9 के साथ पढ़ते हुए अनुच्छेद 13 (2) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए बैंक ने विक्रय का निर्णय लिया है।

क्र.सं.	शाखा का नाम	ऋणी का नाम (सम्पत्ति स्वामी का नाम)	सम्पत्ति का विवरण	देयराशि	न्यूनतम रिजर्व मूल्य	अर्नस्ट राशि	नीलामी का दिनांक समय व स्थान
1.	शाखा : गांधी कॉलोनी जिला मुजफ्फरनगर	अमित राजपूत पुत्र श्री ओमपाल सिंह जमानतकर्ता-	एक व्यावसायिक दुकान स्थित श्रीराम प्लाजा न्यू मंडी दुकान सं. 62 C तृतीय तल नगर पालिका नं. 98 B सेगमेंट सं. 7 तहसील व जिला मुजफ्फरनगर बाउण्ड्री- पूरव: दुकान सं. 61 C, पश्चिम: दुकान सं. 63 C, उत्तर: अन्य की संपत्ति, दक्षिण: 4.75 फुट चौड़ा रास्ता।	Rs. 456759.38 + ब्याज एवं अन्य खर्च 01.10.2023 से	Rs. 610000/-	Rs. 610000/-	दिनांक 21.01.2025, नालवार प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक स्थान: क्षेत्रीय कार्यालय प्रथमा यू०पी० ग्रामीण बैंक, अंकित विहार, पचैण्डा रोड, मुजफ्फरनगर

सम्पत्तियाँ का पूर्ण विवरण/अन्य जानकारी सम्बन्धित शाखा के पास उपलब्ध है।

नियम एवं शर्तः (1) उक्त सम्पत्तियाँ ऊपर दिये गये रिजर्व मूल्य से कम पर नहीं बेची जायेगी। सम्पत्तियाँ सबसे अधिक बोली लगाने वाले को बेची जायेगी। (2) नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति को अर्नस्ट धनराशि प्रथमा यू०पी० ग्रामीण बैंक की सम्बन्धित शाखा के पक्ष में देय भुगतान आदेश/माँग ड्राफ्ट अर्नस्ट मनी डिपोजिट (ई०एम०डी०) के रूप में सम्बन्धित शाखा प्रबन्धक के पास नीलामी की दिनांक से एक दिन पूर्व सायं 5.00 बजे तक जमा करानी होगी। (3) नीलामी समापन समय पर सबसे अधिक बोली लगाने वाले को बोली की 25 प्रतिशत राशि भुगतान आदेश/माँग ड्राफ्ट द्वारा प्राथमिक डिपोजिट के रूप में जमा करानी होगी अन्यथा उसकी ई०एम०डी० जल्द कर ली जायेगी। अदा की गयी ई०एम०डी० प्राथमिक भुगतान राशि में समायोजित कर दी जायेगी। असफल बोलीकर्ताओं की ई०एम०डी० नीलामी के समय पर ही लौटा दी जायेगी। (4) बोली की शेष राशि विक्रय की स्वीकृति के पश्चात 15 दिन के भीतर जमा करनी होगी अन्यथा उनके द्वारा जमा की गयी प्राथमिक डिपोजिट राशि जल्द कर ली जायेगी और विक्रय की पुष्टि नहीं की जायेगी। (5) जिस सम्पत्ति के लिए क्रेता अपनी ऑफर दे रहा है, उस सम्पत्ति के सम्बन्ध में देय स्वी यूनिसिपल/टैक्स/बिल्ली/पानी/अन्य प्रभार ड्यूटीज एवं कर जो भी हों भुगतान की पूर्ण जिम्मेदारी क्रेता की होगी। स्टाम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन की अदायगी भी क्रेता के द्वारा ही वहन की जायेगी। (6) प्राधिकृत अधिकारी को बोली स्वीकार या अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त होगा। (7) यदि ऋणी विक्रय की तारीख से पूर्व बैंक की सम्पूर्ण राशि अदा कर देता है तो नीलामी रद्द कर दी जायेगी। (8) यदि नीलामी के दिन अथवा राशि धारित किया जाता है तो नीलामी अगले दिन आयोजित की जायेगी। (9) बोली कर्ता को अर्नस्ट धनराशि प्रथमा यू०पी० ग्रामीण बैंक की सम्बन्धित शाखा के पक्ष में देय भुगतान आदेश/माँग ड्राफ्ट अर्नस्ट मनी डिपोजिट (ई०एम०डी०) के रूप में नीलामी की दिनांक से एक दिन पूर्व शाम 5.00 बजे तक सम्बन्धित शाखा प्रबन्धक के पास जमा करानी होगी। (10) उक्त सम्पत्तियाँ जैसा है, जहाँ है, जितना है जैसा है के आधार पर बेची जायेगी। (11) ऋणियों/गारंटी दालाओं को सूचना दी जाती है कि डिमांड नोटिस के अनुसारसमस्त राशि (ब्याज एवं अन्य खर्चा सहित) नीलामी की तारीख से पहले जमा करा दें। ऐसा न करने पर सम्पत्ति की नीलामी कर दी जायेगी और बची हुई राशि यदि कोई है, ब्याज एवं खर्चा सहित वसूल की जायेगी।

दिनांक: 18.12.2024
स्थान: मुजफ्फरनगर (उ.प्र.) प्राधिकृत अधिकारी, प्रथमा यू०पी० ग्रामीण बैंक, मुजफ्फरनगर (उ०प्र०)

